# जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा/स.स./बीपीसी/2006/डी- 609 दिनांकः 12/7/2006

विषयः भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 52 वी बैठक दिनांक 5 7 2006 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमे निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

| क्र. सं. | एजेण्डा सं0 | प्रकरण | निर्णय | लेय राशि रु. | अनुपालना |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52.1 | बी.पी.सी. (बिल्डिंग प्लान) की 51 वी बैठक दिनांक 17–5–2006 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि। | कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गयी। | | |
| 2 | 52.2 | बी.पी.सी. (बिल्डिंग प्लान) की 51 वीं बैठक दिनांक 17 5 –2006 में लिये गये निर्णयो के क्रियान्विती की समीक्षा। | समिति द्वारा क्रियान्विती की समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया। | | |
| 3. | 52.3 | भूखण्ड संख्या जी–3 व जी–3ए में संस्थानिक भवन (निदेशालय स्वायत्त शासन) के भवन मानचित्र अनुमोदन के संबन्ध में। | निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग के प्रस्तावित भवन मानचित्रों को तकनीकी दृष्टि से समिति द्वारा स्वीकृत करते हुये निम्नांकित निर्णय लिये गये:–<br>1. विना अनुमति निर्माण के बाबत यह स्पष्ट किया गया कि निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भवन का निर्माण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनके पूर्व के भवन को पुरातत्व खाली करने एवं नये परिसर में स्थानान्तरित करने के वचरण किया गया अतः विना अनुमति निर्माण की शास्ती नही लेने का निर्णय लिया गया। परन्तु चूकि शास्ती माफ करने का अधिकार राज्य सरकार को है, इसलिए निर्णय लिया गया कि भवन मानचित्र समिति की सिफारिशो के साथ प्रकरण शास्ती माफ करने हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जावे।<br>2. प्रश्नगत भूखण्ड मे सैट बैक को सम्मिलित | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | करते हुए पार्किंग का जो निर्माण किया गया है उसे संस्था द्वारा केवल पार्किंग प्रयोग में लिए जावेगा। राज्य सरकार द्वारा सचिवालय भवन, उच्च न्यायालय भवन में भी पार्किंग निर्माण को सैट बैक क्षेत्र में अनुमति दी गई है अतः सैद्धान्तिक रूप से संस्था के प्रस्ताव को स्वीकार्य किया गया, तथा राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।<br>3. प्रश्नगत योजना में जिन जिन संस्थाओं को इस प्रकार से 2 2 भूखण्ड संस्थानिक प्रयोजन के लिए आवंटित किये गये है उनको योजना में प्रोजेक्ट कमेटी द्वारा संशोधित करवा लिया जावे ताकि भू उपयोग परिवर्तन एवं पुनर्गठन की समस्या ना हो। स्वायत्त शासन निदेशालय को भी जोन द्वारा एक ही स्थल मानचित्र जारी किया जावे।<br>4. पीछे के सैट बैक 3.0 मी. रखते हुए प्रस्तावित सीढी फायर स्टेयर जैसा स्वरूप प्रस्तावित है उसे अनुज्ञेय किया जावे।<br>5. विकलांगो हेतु प्रावधान मानचित्रों में दर्शाया जावें।<br>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावें। | |
| 4. | 52.4 | भूखण्ड संख्याः जे-6, हिम्मत नगर, टौंक रोड के कामर्शियल कॉम्पलेक्स के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन के सम्बन्ध में। | प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एव निम्नांकित शर्तो के आधार पर भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-<br>1. प्रार्थी के कब्जे में सड़क के राईट ऑफ वे की 15' X 60 ' भूमि है जिसे प्रार्थी द्वारा हटाये जाने एवं जोन द्वारा इस भूमि का कब्जा लेने के पश्चात् ही भवन मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया जावे।<br>2. पुराने निर्माण को हटाने के लिए प्रार्थी से आवश्यक अण्डरटेकिंग ले ली जावे। | |
| 5. | 52.5 | पुनर्गठित भूखण्ड संख्याः 1, 2, 3 व 4 भवानी सिंह रोड, सी-स्कीम, जयपुर के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित मानचित्रो पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निम्नांकित शर्तो के साथ भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-<br>1. संशोधित मानचित्रों के जो शुल्क लिया जावेगा उसका अनुमोदन अलग से भवन विनियम की | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | पत्रावली पर माननीय अध्यक्ष जविप्रा से करवा लिया जावे, जिसकी पुष्टि आगामी प्राधिकरण की बैठक से करवा ली जावे। तदनुसार प्रश्नगत प्रकरण में भी अनुज्ञा शुल्क लिया जावे तथा संशोधित मानचित्रों के पूर्व व आगामी सभी प्रकरणों में इसी अनुसार शुल्क लिया जावे।<br>2. बेसमेन्ट में दर्शाये गये पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के हक में समर्पित करने के लिए प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले ली जावे।<br>3. अग्निसुरक्षा का प्रमाण पत्र संशोधित मानचित्रों के अनुक्रम में प्रार्थी से लिया जावे। |
| 6. | 52.6 | भूखण्ड संख्या 1 व 2, गोविन्द मार्ग, राजापार्क योजना के पास व्यावसायिक भूखण्ड के पुर्नगठन बाबत। | समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श कर पुर्नगठन की स्वीकृति का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में एक अन्य पत्रावली पर जयपुर विकास आयुक्त महोदय द्वारा विस्तृत विवरण माननीय मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। उस नोट को पत्रावली में संधारित किया जावे। |
| 7. | 52.7 | खं० नं० 27/66, ग्राम परसरामपुरा, ढेहर का बालाजी, जयपुर के आवासीय परिसर हेतु प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं निम्नांकित शर्तों के आधार पर भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-<br>1. पुराने निर्माण को हटाने के लिए प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ली जावे।<br>2. स्टिल्ट फलोर पर प्रस्तावित पार्किंग को जविप्रा के हक में समर्पित करने हेतु प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ली जावे।<br>3. अग्निसुरक्षा एवं यातायात विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रार्थी से लिया जावे। |
| 8. | 52.8 | भूखण्ड संख्या एस-1, सैक्टर 4, विद्याधर नगर में संरचनागत भवन के मानचित्र नियमबद्ध/अनुमोदन के सम्बन्ध में। | प्रकरण में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रार्थी ने सैट बैक में अतिक्रमण किया है जो कि भवन नियमितिकरण/नियमबद्ध नियम 1989 के तहत नियमितिकरण योग्य नहीं है अतः प्रकरण को धारा 6.7 भवन विनियम 2000 के तहत समस्त तथ्यों के साथ पुनः राज्य सरकार को भेजा जावे। |
| 9. | 52.9 | भूखण्ड संख्या 3, एयरपोर्ट प्लाजा, टोंक रोड, जयपुर के कामर्शियल कॉम्पलेक्स | प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निम्नांकित शर्तों के आधार पर भवन मानचित्र अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-<br>1. अग्निसुरक्षा एवं यातायात विभाग का अनापत्ति |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रमाण पत्र प्रार्थी से लिया जावे।<br>2. नागरिक उड्डयन विभाग से अनापत्ति प्लिन्थ लेवल तक प्राप्त हुई है परन्तु सम्पूर्ण ऊंचाई तक नागरिक उड्डयन विभाग की अनापत्ति प्राप्त होने पर ही भवन मानचित्र जारी किये जावे।<br>3. अपर व लोअर बेसमेन्ट में दर्शाये गये पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के हक में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे।<br>4. भूखण्ड के पीछे के सैटबैक में प्रस्तावित 3 कार पार्किंग मैकेनिकल सिस्टम को अनुमोदित किया जावे। |
| 10. | 52.10 | पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 24, 25 व 26 स्कीम सं0 13, दुर्गा विहार, लैंक रोड के व्यावसायिक भूखण्ड के मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निम्नांकित निर्णय लिये गये:-<br>1. सामने के सैट बैक में 30 फिट सड़क की तरफ जो सीढियां दर्शायी गयी है उन्हें अनुमोदित नहीं किया जावे।<br>2. बेसमेन्ट में दर्शाये गये पार्किंग क्षेत्र को जविप्रा के हक में समर्पित किये जाने हेतु प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ली जावे।<br>उपरोक्तानुसार संशोधन कर भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किया जावे। |
| 11. | 52.11 | पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 1, 2, 3 करतुरबा नगर, अजमेर रोड, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से रिटल्ट फलोर पर प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जाकर भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे। |
| 12. | 52.12 | भूखण्ड संख्या 49, 51, 52 न्यू सांगानेर रोड, कटेवा नगर के आवासीय परिसर के प्रस्तावित मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-<br>1. प्रश्नगत प्रकरण में भूखण्ड सं0 49, 51 व 52 को एक ही भूखण्ड योजना मानचित्र में अनुमोदित किया गया है अतः रिटल्ट फलोर पर दुकाने, सोसायटी ऑफिस, इलेक्ट्रिक रूम भवन विनियम 2000 की तालिका एवं विनियम 9.8 के तहत अनुमोदित किया जावे।<br>2. भवन विनियम 2000 के अनुसार कार पार्किंग के प्रस्ताव को कम्पाउण्डवाल निर्मित नहीं किये जाने की शर्त पर अनुमोदित किया गया। प्रार्थी से इस बाबत आवश्यक अण्डरटेकिंग ले ली जावे। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 3. स्टिल्ट फलोर पर प्रस्तावित पार्किंग जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे।<br>4. पुराने निर्माण को हटाने के लिए अण्डरटेकिंग ले ली जावे।<br>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे। |
| 13. | 52.13 | पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 2/60, 2/61, 2/62 व 2/63, चित्रकूट योजना के आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण पर समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से स्टिल्ट फलोर पर प्रस्तावित पार्किंग क्षेत्र जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जाकर भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे। |
| 14. | 52.14 | भूखण्ड संख्या सी–3/9, वैशाली नगर जयपुर के व्यावसायिक मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण पर समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–<br>1. भवन विनियम 2000 के अन्तर्गत 112.5 वर्गमीटर क्षेत्रफल के व्यावसायिक भूखण्डों को ही पार्किंग से छूट है एवं पार्किंग शुल्क लेने का प्रावधान है परन्तु प्रश्नगत भूखण्ड 116.13 वर्गमीटर का है और प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि भूखण्ड छोटा होने के कारण पार्किंग दिया जाना सम्भव नहीं है। विचार विमर्श पश्चात् पाया गया कि भूखण्ड का क्षेत्रफल 112.5 वर्ग मीटर से केवल 3.63 वर्ग मीटर अधिक है जो बढ़ोतरी 5% से कम है। अतः इसे Marginal case मानते हुये पार्किंग शुल्क लिया जाए।<br>2. भूतल एवं प्रथम तल पर किये गये पुराने निर्माण को हटाने हेतु प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ले ली जावे।<br>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर भवन मानचित्र स्वीकृत जारी किये जावे। |
| 15. | 52.15 | खसरा नम्बर 156, 159, 160 व 161 रामनगरिया, जगतपुरा में इन्जीनियरिंग कॉलेज व फार्मेसी कॉलेज के भवन मानचित्र नियमबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में। | प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 10/12–4–06 में लिये गये निर्णय को यथावत रखा जावे। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 52.16 | भूखण्ड संख्या 2, आश्रम मार्ग, टौंक रोड, जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण पर समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड में भवन विनियमों के अनुसार प्रार्थी से भवन मानचित्र मांगे जावे और भवन मानचित्र यदि भवन विनियमों के अनुसार है तो उन्हें आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जावे। | | |
| अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डाओं पर भी विचार–विमर्श कर निर्णय लिये गये:– | | | | | |
| 17. | 52.17 | आशादीप–सी, खसरा नं0 619 श्री किशनपुरा, तह. सांगानेर सैक्टर–30 के प्रस्तावित रेजिडेन्शियल अपार्टमेन्ट के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण पर समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:–<br>1. बेसमेन्ट व रिटल्ट फलोर पर प्रस्तावित पार्किंग जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे।<br>2. अग्नि सुरक्षा व यातायात विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रार्थी से ले लिया जावे।<br>3. पूर्व में लिये गये निर्णय अनुसार बेसमेन्ट में क्लब हाउस एवं उससे सम्बन्धित सुविधाओं को अनुज्ञेय किया जावे।<br>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे। | | |
| 18. | 52.18 | कृष्ण कृपा कियेशन द्वारा स्काउट कैम्पस II जगतपुरा के ग्रुप आवासीय के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:–<br>1. ऊंचाई के संबंध में नागरिक उड्डयन विभाग का प्रमाण पत्र ले लिया जावे।<br>2. बेसमेन्ट–I व बेसमेन्ट–II, रिटल्ट फलोर पार्किंग जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे।<br>3. अग्निसुरक्षा व यातायात विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रार्थी से लिया जावे।<br>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे। | | |
| 19. | 52.19 | भूखण्ड संख्या 4, एयरपोर्ट प्लाजा टोंक रोड, जयपुर के व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण पर समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:–<br>1. लोअर बेसमेन्ट व अपर बेसमेन्ट पार्किंग जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे।<br>2. अग्निसुरक्षा व यातायात विभाग का प्रमाण पत्र प्रार्थी से लिया जावे।<br>3. ऊंचाई के संबंध में नागरिक उड्डयन विभाग का प्रमाण पत्र ले लिया जावे। | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 4. सामने के सैट बैक के अतिरिक्त 15 ई.सी.यू मैकेनिकल पार्किंग को अनुज्ञेय किया जावे।<br>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर भवन मानचित्र स्वीकृत कर जारी किये जावे। |
| 20. | 52.20 | भूखण्ड संख्या एस–25 सेन्ट्रल स्पाइन जगतपुरा के आवासीय परिसर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण पर समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निम्नांकित निर्णय लिये गये:–<br>1. स्टिल्ट फलोर पार्किंग जविप्रा के पक्ष में समर्पित किये जाने हेतु अण्डरटेकिंग ली जावे।<br>2. अग्निसुरक्षा व यातायात विभाग का प्रमाण पत्र प्रार्थी से लिया जावे।<br>3. जविप्रा द्वारा घोषित आरक्षित दर की सूची में जगतपुरा सेन्ट्रल स्पाईन की आरक्षित दर निर्धारित नहीं है जिससे व्यावसायिक रूपान्तरण शुल्क की गणना नहीं की जा सकी है। अतः निदेशक(वित्त) से राय ली जावे कि संबंधित प्रकरण में किस आधार पर आरक्षित दर से गणना की जावे।<br>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर भवन मानचित्र स्वीकृत कर जारी किये जावे। |
| 21. | 52.21 | भूखण्ड संख्या 64 मरूधर नगर(चित्रकूट) जयपुर के भवन मानचित्र अनुमोदन/ नियमबद्ध बाबत। | प्रकरण पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भवन नियमितिकरण नियमबद्ध नियम 1989 के अनुसार नियमबद्ध योग्य क्षेत्र को नियमानुसार शास्ती लिए जाकर नियमित किया जावे तथा बिना अनुमति जो निर्माण किया गया है उसकी शास्ती भी ली जावे।<br>उपरोक्तानुसार कार्यवाही होने पर भवन मानचित्र अनुमोदित /नियमबद्ध कर जारी किये जावे। |
| 22. | 52.22 | खसरा नम्बर 1/1 ग्राम बरसी सीताराम पुरा झोटवाड़ा रोड, जयपुर के व्यावसायिक/ मल्टीप्लेक्स के भवन मानचित्र अनुमोदन पर की गई आपत्ति के कम में। | प्रकरण पर समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन के संबंध में प्रकरण राज्य सरकार स्तर पर लम्बित है। इस बाबत श्री आई.एस. सहवाग, लेफ्टिनेंट कर्नल कार्यालय रटेशन कमाण्डर जयपुर को सूचित कर दिया जावे एवं उनसे यह भी पूछा जावे कि सुरक्षा की दृष्टि से उनके किस स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण से आपत्ति है क्योंकि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्मित होने वाले परिसर के आसपास का क्षेत्र सेना विभाग द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | उपयोग में लिया जा रहा है। | | |
| 23. | 52.23 | पुनर्गठित भूखण्ड संख्या एस 17 व एस 18 मण्डावा एनक्लेव हनुमान नगर में प्रस्तावित आवासीय भवन के मानचित्र अनुमोदन बाबत। | प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श निम्नांकित निर्णय लिये गये:<br>1. पार्श्व–I सैट बैक में प्रस्तावित दो विण्डो को अनुज्ञेय नहीं किया जावे।<br>2. भूखण्ड संख्या एस–16 की तरफ साईड सैट बैक में जो मंदिर निर्मित है उसे हटाने के लिए प्रार्थी से अण्डरटेकिंग ली जावे।<br>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने पर भवन मानचित्र स्वीकृत कर जारी किये जावे। | | |
| 24. | 52.24 | भूखण्ड सं0 5, इन्दिरा पैलेस मालवीय नगर जयपुर पर प्रस्तावित पार्किंग सह व्यावसायिक परिसर के भवन मानचित्र नियमित किये जाने बाबत। | प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की जांच विस्तृत तौर पर की जावे तथा प्रकरण आगामी बैठक में जांच उपरान्त प्रस्तुत किया जावे। | | |
| 25. | 52.25 | राजस्थान कोली समाज के भूखण्ड में साइड सैट बैक में छूट दिये जाने बाबत। | **प्रकरण पर समिति द्वारा विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि साईड सैट बैक दोनो तरफ 6–6 मीटर छोडने पर मात्र 10 मीटर चौडाई ही निर्माण योग्य प्राप्त होती है, जिसमें संस्थागत भवन पर्याप्त चौडाई में नहीं बनाया जा सकता है अतः भवन विनियम 2000 के विनियम 8.8 (V) को दृष्टिगत रखते हुए साईड सैट बैक (दोनो तरफ) 6 मीटर के स्थान पर 4.50 मीटर रखे जाने की स्वीकृति दी गई, जिससे संस्था को पर्याप्त चौडाई में भवन निर्माण हेतु उपलब्ध हो सके।** | | |

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

12/7/2006

सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति(भीपी)

जविप्रा, जयपुर।

परिशिष्ट- "1"

भवन मानचित्र समिति(बिल्डिंग प्लान) की 52वीं बैठक दिनांक 5.7.2006 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता मे समिति कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

1. श्री डी.बी. गुप्ता, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। अध्यक्ष
2. श्री बीरू सिंह राठौड, विधायक सदस्य
3. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर। सदस्य
4. श्री रामनिवास मीणा, अति. आयुक्त, भूमि (पश्चिम), जविप्रा, जयपुर। सदस्य
5. श्री नीरज तिवारी वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी)जविप्रा,जयपुर। सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित :-

1. श्री अरूण गर्ग, उपायुक्त जोन 1, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री अनन्तदेव टांक, उप नगर नियोजक, जोन 1, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री हीरालाल, उप नगर नियोजक, जोन 4, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री शेरसिंह उप नगर नियोजक, जोन 7, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव(बीपीसी)

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2006/डी- 609

दिनांक : 12/7/2006

प्रतिलिपि निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. माननीय श्री बीरू सिंह राठौड, विधायक
3. माननीय श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक(आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
8. अति.आयुक्त(भूमि)पूर्व/पश्चिम, प्रशासन, जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन ..... जविप्रा, जयपुर।
10. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव(बीपीसी)
जविप्रा,जयपुर।